भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3713

24.03.2025 को उत्तर के लिए

जोशीमठ और उसके आस-पास की परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

3713. श्री सुदामा प्रसाद :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषकर वर्ष 2022-23 की आपदा के आलोक में हिमालयी राज्यों और जोशीमठ जैसे संवेदनशील हिमालयी शहरों के संबंध में सरकार की नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जोशीमठ और इसके आस-पास सुरंग निर्माण, बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं और चार लेन वाले राजमार्गों सहित प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) और सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार हिमालय क्षेत्र में बड़े पैमाने की अवसंरचना परियोजनाओं, जिन्हें बार-बार आने वाली आपदाओं के पीछे एक प्रमुख कारक माना जाता है, के पुनः आकलन पर विचार कर रही है और यदि हां, तो वैकल्पिक विकासपरक योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा आपदा न्यूनीकरण के लिए कौन-कौन सी वैकल्पिक रणनीतियां तैयार की गई हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006, यथा संशोधित, के उपबंधो के अनुसार, हिमालयी राज्यों में स्थित परियोजनाओं सहित जलविद्युत परियोजनाओं और राजमार्गों आदि जैसी सभी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, परियोजना के निर्माण की शुरुआत से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी, यथा प्रयोज्य, की आवश्यकता होती है। मंत्रालय ने ईआईए अधिसूचना, 2006, यथा संशोधित, में ऐसी परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के व्यापक आंकलन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन किया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विचार प्रक्रिया के चार चरणों अर्थात स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, सार्वजनिक परामर्श और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन का प्रावधान है।

जब भी परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो डोमेन क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित केंद्रीय स्तर पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) भूकंप विज्ञान, भूवैज्ञानिक प्रोफ़ाइल, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का अध्ययन, जोखिम विश्लेषण अध्ययन से संबंधित

अध्ययनों/सूचनाओं के मूल्यांकन के साथ-साथ परियोजना के विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं पर विस्तृत जांच तथा विचार-विमर्श करने के बाद, परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपशमन उपायों और पर्यावरणीय प्रबंधन का सुझाव देकर पर्यावरणीय स्वीकृति देने के लिए परियोजना की अनुशंसा करते हैं। इस तरह के विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण के बाद ही परियोजना के निर्माण से पहले परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और सामान्य तथा विशिष्ट शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन पर्यावरणीय मंजूरी जारी की जाती है।

सुरक्षा उपायों से संबंधित परियोजना विशिष्ट शर्तें जैसे कि प्रारंभिक चेतावनी टेलीमेट्रिक प्रणाली की स्थापना, आपातकालीन तैयारी योजना का कार्यान्वयन, आपदा प्रबंधन योजना, जलग्रहण क्षेत्र शोधन योजना, मलबा निपटान स्थलों का स्थिरीकरण, किनारों पर वृक्षारोपण, चारागाह विकास, नर्सरी विकास आदि भी पर्यावरणीय मंजूरी के घटक के रूप में सामान्य/विशिष्ट शर्तों के भाग के रूप में निर्धारित किए जाते हैं, जैसा कि लागू हो सकता है।

*****